रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-17022025-261101
CG-DL-E-17022025-261101

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 822] नई दिल्ली, सोमवार, फरवरी 17, 2025/माघ 28, 1946
No. 822] NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 17, 2025/MAGHA 28, 1946

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 फरवरी, 2025

दक्षिणी महासागर में विशिष्ट मत्स्य संचालन मत्स्य जलयान के लिए मार्गदर्शी सिधांत।

का.आ. 826(अ).— भारत, अंटार्टिक समुद्री सजीव संसाधन संरक्षण आयोग का स्थायी सदस्य है;

और अंटार्टिक समुद्री सजीव संसाधन संरक्षण आयोग (जिसे इसमें इसके पश्चात् आयोग कहा गया है) की स्थापना अंटार्टिक समुद्री सजीव संसाधन के उद्देश्यों के साथ अंटार्टिक संधि प्रणाली के अधीन की गई है और इसका प्रबंधन व्यापक संसाधन उपायों के क्रियान्वयन द्वारा किया जाता है, जिसके अंतर्गत ऐसे संसाधनों का सतत उपयोग सम्मिलित है ;

और मत्स्य के सतत उपज के लिए अभिसमय क्षेत्र को विशिष्ट क्षेत्रों प्रजातियों और समयावधि के ब्यौरे वाले उनके ध्वज लगे जलयानो को अनुज्ञप्ति, परमिट और प्राधिकारिता जारी करने वाले राज्यों के साथ क्षेत्रों, उपक्षेत्रों और प्रभागों में विभाजित करता है जिसके लिए आयोग द्वारा मत्स्य पालन अधिकृत किया जाता है;

और, यह मान्यता है कि दक्षिण महासागर मुख्य रूप से दो प्रकार के मत्स्य पालन अर्थात् (i) टूथफिश, (ii) क्रिल, जिनमें से प्रत्येक के लिए विशेष मत्स्य जलयान और अनन्य मछली पकड़ने की रीतियां अपेक्षित होती हैं ;

और, केवल मत्स्य जलयान, जो वर्ष में विशिष्ट अवधि के लिए दक्षिणी महासागर में मत्स्य उपज के लिए पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा अनुज्ञप्ति जारी करने, अनुमति या प्राधिकृत करने के साथ-साथ आयोग द्वारा निर्धारित अपेक्षाओं का अनुपालन किया जाता है ;

और, भारत सरकार का लक्ष्य देश के आर्थिक विकास में अग्रिम अनुसंधान क्षमता और भागीदारी करने के दोहरे उद्देश्यों के साथ दक्षिणी महासागर में पूर्वोक्त मत्स्य पालन के विस्तार में भारतीय इकाईयों की भागीदारी का संवर्धन करना है ;

और, कोई भी भारतीय मत्स्य जलयान दक्षिणी महासागर में मछली पकड़ने के लिए उपयुक्त नहीं है या दक्षिणी महासागर में मत्स्य उपज के लिए शिकायत पर विचार करने हेतु प्रमाणपत्र या अनुमोदन नहीं लिया है ;

और, कतिपय भारतीय इकाईयों ने ऐसे एक या अधिक ऐसे मत्स्य जलयानों को चार्टर करने की वांछा अभिव्यक्त की है, जो टूथ फिश या क्रिल फिश की उपज करने में भागीदारी के लिए आयोग की अपेक्षाओं का अनुपालन करते हैं और पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय से अनुरोध किया है कि ऐसे जलयानों का भारत में रजिस्ट्रीकृत करने के लिए अनुग्यात किया जाए और ऐसे चार्टर की अवधि के लिए भारतीय ध्वज के अधीन प्रचालित किया जाए ;

और, समुद्री महासागर में मतस्य उपज में भारतीय इकाईयों द्वारा भागीदारी से आयोग के उद्देश्यों को प्राप्त करने में केवल सहायता ही नहीं मिलती बल्कि देश में ब्लू इकोनोमी के संवर्धन में भी सहायता मिलती है ।

2. अतः, अब केंद्रीय सरकार, वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 (1958 का 44) की धारा 435ख के खंड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दक्षिणी महासागर (जिसे इसमें इसके पश्चात् विशिष्ट मत्स्य जलयान कहा गया है), जो निम्नलिखित शर्तों के अधीन, इस धारा के प्रयोजन के लिए मछली पकड़ने वाली नाव से मछली पकड़ने के लिए प्रयोग में लाया जाता है, के प्रचालन में प्रत्येक जलयान को विनिर्दिष्ट करता है, अर्थात् :--

(क) भारतीय इकाईयों द्वारा किराए पर लिया गया कोई विशिष्ट मत्स्य जलयान पिछले पांच सत्रों में से कम से कम एक मछली पकड़ने के सत्र के लिए दक्षिणी महासागर में मत्स्य उपज किया होगा ;

(ख) ऐसे स्वामी की राष्ट्रयिता के संबंध में कोई प्रतिबंध नहीं होगा, जो विशिष्ट मत्स्य जलयान को किराए पर ले जा रहा हो ;

(ग) विशिष्ट मत्स्य जलयान सुरक्षा, संरक्षण और पर्यावरण संरक्षण के संबंध में वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 और उसके अधीन बनाए नियमों और विनियमों की अपेक्षाओं का अनुपालन करेगा और अन्य लागू विधि की अपेक्षा सहित दक्षिणी महासागर में मत्स्य उपज के लिए उसके आवेदन को आयोग द्वारा यथा अपेक्षा के रूप में अन्य अंतर्राष्ट्रीय लिखित के साथ पूरा किया जाएगा ;

(घ) विशिष्ट मत्स्य जलयान, मत्स्य पालन के वर्ष के लिए अवैध, असूचित, अनियमित जलयान सूची में सम्मिलित नहीं होना चाहिए ; और

(ङ) ऐसे जलयान पर कम से कम पच्चीस प्रतिशत नियोजित कर्मी दल भारतीय नागरिक होंगे ।

स्पष्टीकरण—इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए "अभिसमय क्षेत्र" से अभिसमय क्षेत्र के रूप में अंटार्टिक समुद्री सजीव संसाधन आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट क्षेत्र अभिप्रेत है ।

[फा. सं. एसआर-23011/10/2024-एमजी]

राजेश कुमार सिन्हा, अपर सचिव

MINISTRY OF PORTS, SHIPPING AND WATERWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th February, 2025

Guidelines for specialised fishing vessels for fishing operations in the Southern Ocean.

S.O. 826(E).—Whereas, India is a permanent member of the Commission for the Conservation of Antarctic Marine Living Resources;

And whereas, the Commission for the Conservation of Antarctic Marine Living Resources (herein referred to as the Commission), was established under the Antarctic Treaty System with the objective of conserving Antarctic marine living resources and its management by implementing a set of comprehensive conservation measures which includes sustainable utilisation of such resources;

And whereas, for the sustainable harvesting of fisheries, the Convention area has been divided into areas, sub-areas and divisions with member States issuing licence, permit or authorisation to their flagged vessels detailing the specific areas, species and time periods for which fishing is authorised by the Commission;

And whereas, recognising that the Southern Ocean is predominantly home to two major types of fisheries, namely, (i) toothfish and (ii) krill, each requiring specialised fishing vessels and unique fishing methods;

And whereas, only those fishing vessels, which comply with the requirements stipulated by the Commission, *inter-alia*, may be licensed, permitted or authorised by the Ministry of Earth Sciences to carry out harvesting of fisheries in the Southern Ocean, for a specific period in a year;

And whereas, the Government of India aims to enhance the participation of Indian entities in the exploration of the aforesaid fisheries in the Southern Ocean, with the dual objectives of advancing research capabilities and contributing to the country's economic development;

And whereas, no Indian fishing vessel is suitable for undertaking fishing in the Southern Ocean or has the certification or approval necessary for being considered compliant for harvesting fisheries in the Southern Ocean;

And whereas, certain Indian entities have expressed desire to charter one or more of such fishing vessels, which comply with the requirements of the Commission, to participate either in harvesting of toothfish or krill fishery and have requested the Ministry of Ports, Shipping and Waterways to allow such vessel be registered in India and operate under the Indian Flag for the duration of such charter;

And whereas, the participation by Indian entities in harvesting of fisheries in the Southern Ocean may not only add to India’s efforts in furthering the objectives of the Commission but also contribute in augmentation of the blue economy of the country.

2. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (c) of section 435 B of the Merchant Shipping Act 1958 (44 of 1958), the Central Government, hereby specifies, every vessel certified to operate in the Southern Ocean (herein referred to as specialised fishing vessel), used solely for fishing, to be a fishing boat for the purposes of this section, subject to the following conditions, namely:-

(a) the specialised fishing vessel, being bareboat chartered by Indian entities, shall have carried out harvesting of fisheries in the Southern Ocean for at least one fishing season out of the last five seasons;

(b) there shall not be any restraint in respect to the nationality of the owner, whose specialised fishing vessel is being chartered;

(c) the specialised fishing vessel shall comply with the requirements of the Merchant Shipping Act 1958 and the rules and regulations made thereunder in respect to safety, security and environment protection, and with other international instruments as required by the Commission in its application to harvesting of fisheries in the Southern Ocean, including the requirement of other applicable law;

(d) the specialised fishing vessel must not be included in the Illegal, Unreported and Unregulated Vessel List for the year of fishing; and

(e) at least 25% of crew employed on such vessels shall be Indian nationals.

***Explanation*. –** For the purposes of this notification, the expression “Convention area” means area specified by the Commission for the Conservation of Antarctic Marine Living Resources to be the Convention area.

[F. No. SR-23011/10/2024-MG]

RAJESH KUMAR SINHA, Addl. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Date: 2025.02.17 22:31:04 +05'30'